

## कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा

क्रमांक /

/ शिक्षा / जिपं / 2010-11

हरदा दिनांक

मई 2010

### :: आदेश ::

म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ/1-4/07/20/-1/दिनांक 28.06.2007 के अनुसार श्री डी.पी. दुबे की अध्यक्षता में एकल समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन के निर्णय अनुसार म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक भर्ती एवं सेवा शर्तों संशोधित नियम 2003 के अंतर्गत म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग आदेश/एफ-1-42/2008/20/भोपाल दिनांक 15.04.08 एवं लोकशिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक/शि.क./ए/7/2010/71 भोपाल दिनांक 22.02.2010 में दिये गए निर्देशों के परिपालन में जिला पंचायत हरदा के अधीन नियुक्त कार्यरत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 को वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु जिला पंचायत हरदा के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 को वर्ष 2005 के उपरान्त नियोजित किये गए संविदा शाला शिक्षकों को जिन्हें नियुक्ति के उपरान्त तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण हो गई है तथा जो शासन आदेश दिनांक 15.04.2008 के निर्धारित मापदंडों के अनुसार अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पात्रता रखते हैं, उन्हें अध्यापक संवर्ग में नियुक्त करने के संबंध में अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपयुक्ता के संबंध में गठित जांच समिति की अनुशंसा उपरांत कार्यरत संविदा शिक्षक श्रेणी-01 एवं श्रेणी-2 को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक व प्रवर्ग में वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग के नियमित वेतनमान क्रमशः 5000-175-8500, 4000-125-6500/- के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाता है । न्यूनतम वेतनमान पर समय-समय पर राज्य शासन द्वारा देय मंहगाई भत्ते का लाभ वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से देय होगा । संविदा शिक्षकों की वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन ही रहेगी :-

1. संविदा शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 को वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में संविलियन जिनकी नियुक्ति अनारक्षित संवर्ग में हुई है को अनारक्षित संवर्ग में एवं आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त संविदा शिक्षक को आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है ।
2. अध्यापक संवर्ग में नियुक्त अध्यापकों को सेवा में सुरक्षा एवं नियमित वेतनमान प्राप्त होगा ।
3. अध्यापक संवर्ग में नियुक्त अध्यापकों वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाता है ।
4. संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाता है ।
5. परिवीक्षा अवधि में अकादमी प्रशिक्षण दिया जावेगा जिसमें सफल होने के उपरांत ही परिवीक्षा अवधि समाप्त हो सकेगी ।
6. अध्यापक संवर्ग को अनुग्रह राशि की पात्रता होगी ।

उपरोक्त नियमानुसार निम्नलिखित संविदा शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 को नाम के सम्मुख अंकित दिनांक एवं आरक्षण के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक पद पर नियुक्त किया जाता है -

क्र.	वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक का नाम	संविदा शिक्षक वर्ग में कार्यभार ग्रहण दिनांक	वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	आरक्षण	पदांकित शाला का नाम
1	श्री संजीव कुमार सिंह	13.07.06	12.07.2009	अना. पु.	शा.उ.मा.वि. हंडिया
2	श्री शांतिस्वरूप त्रिपाठी	28.11.06	27.11.2009	अना. पु.	शा.उ.मा.वि. हंडिया
3	श्री मनोज मिंज	11.07.06	10.07.2009	अजजा पु.	शा.उ.मा.वि. रहटगांव
4	श्री विवेक कुमार शर्मा	14.12.06	13.12.2009	अना. पु.	शा.उ.मा.वि. सिराली
5	श्रीमती गीता मेहरा	11.09.06	10.09.2009	अजा म.	शा.न.मा.शा. सिंधखेड़ा

निरंतर .....

क्र.	वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक का नाम	संविदा शिक्षक वर्ग में कार्यभर ग्रहण दिनांक	वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	आरक्षण	पदांकित शाला का नाम
6	श्रीमती अपर्णा जोशी	12.10.06	11.10.2009	अना. म.	शा.न.मा.शा. धनगांव
7	श्री राकेश मंडलेकर	05.01.07	04.01.2009	अजा. पु.	शा.न.मा.शा. शमसाबाद
8	श्रीमती मीना झरबडे	16.10.06	15.10.2009	अजा. म.	शा.न.मा.शा. जलौदा
9	कु. नीशा चावरे	16.10.06	15.10.2009	अजा. म.	शा.न.मा.शा. अहलबाडा
10	श्री शैलेन्द्र राजपूत	29.09.01	01.04.2007	अना. पु.	शा.बा.उ.मा.शा. रहटगांव
11	श्री चंद्रशेखर यदुवंशी	10.10.06	09.10.2009	अपिव पु.	शा.न.मा.शा. कुही
12	श्री अर्जुनसिंह सावनेर	13.10.06	12.10.2009	अपिव पु.	शा.न.मा.शा. सिरकम्बा
13	कु. दुर्गेश मालवीय	11.10.06	10.10.2009	अपिव म.	शास.हाई. सोडलपुर
14	श्रीमती पूनम राजपूत	27.01.04	01.04.2007	अना. म.	शा.न.मा.शा. गाडरापुरा
15	श्री मुनीरामसिंह रावत	18.09.06	17.09.2009	अपिव पु.	शा.न.मा.शा. खेडीनीमा
16	श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव	23.09.06	22.09.2009	अना. पु.	शा.न.मा.शा. सिगोन
17	श्री विजय जोशी	09.11.06	08.11.2009	अना. पु.	शा.न.मा.शा. मांगरूल
18	श्रीमती ललिता पवार	17.08.06	16.08.2009	अपिव म.	शा.न.मा.शा. कुसिया
19	श्री प्रहलादसिंह अहिरवार	31.01.07	30.01.2010	अजा. पु.	शास. हाईस्कूल छीपानेर
20	श्रीमती सपना यादव	17.08.06	16.08.2009	अपिव म.	शा.न.मा.शा. गांगला
21	कुमारी नीता राठौर	19.09.06	18.09.2009	अपिव म.	शा.न.मा.शा. गांगला
22	श्रीमती शिल्पा प्रधान	01.10.01	01.04.2007	अजजा म.	शा.उ.मा.वि. मसनगांव
23	श्रीमती शीला कालभौर	17.01.07	16.01.2010	अपिव म.	शा.न.मा.शा. कपासी
24	श्रीमती सीमा पाण्डेय	16.09.06	15.09.2009	अना. म.	शा.न.मा.शा. रायबोर
25	श्री राजेश कुमार मालवीय	31.01.07	30.01.2010	अपिव पु.	शा.न.मा.शा. सामरधा
26	श्रीमती संगीता गौर	15.11.06	14.11.2009	अपिव म.	शा.न.मा.शा. उन्द्राकच्छ
27	श्रीमती रानू पस्टारिया	20.09.06	19.09.2009	अना. म.	शा.न.मा.शा. धनकार
28	श्री कमलेश कुमार विश्वकर्मा	20.11.06	19.11.2009	अपिव पु.	शा.मा.शा. जिनवानिया
29	श्री भरतलाल चौधरी	14.12.06	13.12.2009	अपिव पु.	शा.मा.शा. पाहनपाट
30	श्री अनुपम खरे	28.03.07	27.03.2010	अना. पु.	शा.मा.शा. देवपुर
31	श्री नवलकिशोर माहोर	12.02.07	11.02.2010	अजा. पु.	न.मा.शा. बीड
32	श्रीमती सुनीता लोवंशी	01.12.06	30.11.2009	अपिव. म.	न.मा.शा. सामरधा
33	श्री देवेन्द्र कुमार त्यागी	29.09.01	01.04.2007	अना. पु.	न.मा.शा. खमगांव
34	श्रीमती ममता चौहान	19.02.07	18.02.2010	अपिव म.	न.मा.शा. छीरपुरा
35	श्री राजनसिंह रघुवंशी	03.04.07	02.04.2010	अना. पु.	शा.मा.शा. गाडामोडखुर्द
36	श्री संदीप तुरिया	29.03.07	28.03.2010	अना. पु.	शा.मा.शा. डोलरिया
37	श्रीमती श्यामवती परते	14.08.06	13.08.2009	अजजा. म.	शा.मा.शा. डोलरिया
38	कु. सीमा कौशल	18.12.06	17.12.2009	अपिव म.	शा.मा.शा. सोडलपुर
39	कु. सुनीता बौरासी	17.08.06	16.08.2009	अपिव म.	शा.मा.शा. आलमपुर
40	कु. पूनम शर्मा	16.10.06	15.10.2009	अना. म.	शा.मा.शा. अहलबाडा
41	श्री उमेश कुमार वैश	29.09.01	01.04.2007	अपिव. पु.	शा.मा.शा. कासरनी
42	श्री गंगाधर भोपते	08.02.07	07.02.2010	अपिव. पु.	शा.मा.शा. गोयत
43	श्री संतोष पवार	05.01.07	04.01.2010	अपिव. पु.	शा.मा.शा. गांगियाखेडी
44	श्री रामदीन मल्हारे	08.02.07	07.02.2010	अपिव. पु.	शा.मा.शा. गांगियाखेडी
45	श्रीमती अंजली बघेल	04.11.06	03.11.2009	अपिव. म.	शा.मा.शा. हरदाखुर्द
46	कु. सुनिता यादव	11.10.06	10.10.2009	अपिव. म.	शा.मा.शा. सोनखेडी
47	कु. सविता सरयाम	10.02.07	09.02.2010	अपिव. म.	शा.मा.शा. गोगिया
48	श्री दीपक कुमार गौर	23.03.07	22.03.2010	अपिव. पु.	शा.मा.शा. जयमलपुरा
49	श्री चंद्रसेन बघेले	22.03.07	21.03.2010	अपिव. पु.	शा.मा.शा. सुंदरपानी
50	श्री कृष्ण कुमार खंडागले	29.03.07	28.03.2010	अपिव पु.	शा.मा.शा. कचनार
51	श्री धन्सू देशमुख	03.04.07	02.04.2010	अपिव पु.	शा.न.मा.शा. पाटियाकुआं
52	कु. हेमलता ठाकुर	19.08.06	18.08.2009	अपिव. म.	शा.मा.शा. धुरगाडा
53	श्री मनीष कुमार तिरोलिया	26.03.07	25.03.2010	अपिव पु.	शा.मा.शा. सोहागपुर

क्र.	वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक का नाम	संविदा शिक्षक वर्ग में कार्यभर ग्रहण दिनांक	वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	आरक्षण	पदांकित शाला का नाम
54	श्री सुशीलदास वर्मन	12.02.07	11.02.2010	अजजा पु.	शा.मा.शा. गांगराढाना
55	श्रीमती रीना दुबे	19.02.07	18.02.2010	अना. म.	शा.मा.शा. सौताड़ा
56	श्रीमती सरिता भेरुआ	01.10.01	01.04.2007	अजा. म.	शा.मा.शा. छीपानेर
57	श्री सुनील कुमार कलोसिया	29.09.01	01.04.2007	अजा. पु.	न.मा.शा. वांसपानी
58	श्रीमती वंदना तिवारी	16.10.06	15.10.2009	अना. म.	शा.मा.शा. गुल्लास
59	श्री वेदप्रकाश तिवारी	08.02.07	07.02.2010	अना. पु.	शा.मा.शा. झालवां
60	श्री कमलेश कुमार यादव	31.01.07	30.01.2010	अपिव पु.	शा.न.मा.शा. गाडरापुर
61	श्री मुरारीलाल चौरै	31.08.03	01.04.2007	अपिव पु.	शा.उ.मा.वि. हंडिया
62	श्री सोहनलाल वर्मा	23.04.07	22.04.2010	अपिव पु.	शा.न.मा.शा. हीरापुर
63	श्री रूपेश कुमार पाटिल	22.04.07	21.04.2010	अजा. पु.	शा.न.मा.शा. झाड़पा का.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा

हरदा दिनांक मई 2010

पृ. क्रमांक / / शिक्षा / जिप / 10-11  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कलेक्टर, जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. जिला कोषालयाधिकारी जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला हरदा,
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत हरदा टिमरनी खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. विकासखंड शिक्षा अधिकारी हरदा टिमरनी खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8. प्राचार्य शा.उ.मा.वि ..... विकासखंड हरदा टिमरनी खिरकिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख किया जाता है कि म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में नियुक्त अध्यापक की सेवा पुस्तिका संधारित कर हस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं वेतन निर्धारित संबंधी कार्यवाही तत्काल की जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें ।
9. श्री/श्रीमती .....  
वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा

## कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा

क्रमांक /

/ शिक्षा / जिपं / 2010-11

हरदा दिनांक

जुलाई 2010

### :: आदेश ::

म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ/1-4/07 /20/-1/दिनांक 28.06.2007 के अनुसार श्री डी.पी. दुबे की अध्यक्षता में एकल समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन के निर्णय अनुसार म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक भर्ती एवं सेवा शर्तों संशोधित नियम 2003 के अंतर्गत म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग आदेश/एफ-1-42/2008/20/भोपाल दिनांक 15.04.08 एवं लोकशिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक/शिक./ए/7/2010/71 भोपाल दिनांक 22.02.2010 में दिये गए निर्देशों के परिपालन में जिला पंचायत हरदा के अधीन नियुक्त कार्यरत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 को वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु जिला पंचायत हरदा के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 को वर्ष 2005 के उपरान्त नियोजित किये गए संविदा शाला शिक्षकों को जिन्हें नियुक्ति के उपरान्त तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण हो गई है तथा जो शासन आदेश दिनांक 15.04.2008 के निर्धारित मापदंडों के अनुसार अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पात्रता रखते हैं, उन्हें अध्यापक संवर्ग में नियुक्त करने के संबंध में अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपयुक्ता के संबंध में गठित जांच समिति की अनुशंसा उपरांत कार्यरत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक व प्रवर्ग में अध्यापक संवर्ग के नियमित वेतनमान रूपया 4000-125-6500/- के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाता है। न्यूनतम वेतनमान पर समय-समय पर राज्य शासन द्वारा देय मंहगाई भत्ते का लाभ वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से देय होगा। संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन ही रहेगी :-

1. संविदा शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 को वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में संविलियन जिनकी नियुक्ति अनारक्षित संवर्ग में हुई है को अनारक्षित संवर्ग में एवं आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त संविदा शिक्षक को आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है।
2. अध्यापक संवर्ग में नियुक्त अध्यापकों को सेवा में सुरक्षा एवं नियमित वेतनमान प्राप्त होगा।
3. अध्यापक संवर्ग में नियुक्त अध्यापकों वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाता है।
4. संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाता है।
5. परिवीक्षा अवधि में अकादमी प्रशिक्षण दिया जावेगा जिसमें सफल होने के उपरांत ही परिवीक्षा अवधि समाप्त हो सकेगी।
6. अध्यापक संवर्ग को अनुग्रह राशि की पात्रता होगी।

उपरोक्त नियमानुसार निम्नलिखित संविदा शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 को नाम के सम्मुख अंकित दिनांक एवं आरक्षण के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक पद पर नियुक्त किया जाता है -

क्र.	अध्यापक का नाम	संविदा शाला शिक्षक वर्ग में कार्यभार ग्रहण दिनांक	अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	आरक्षण	पदांकित शाला का नाम
1-	श्री सुभाष चौहान	09.07.2007	08.07.2010	अजा पुरुष	शा.न.मा.शा. जामली
2-	श्रीमती संगीता सुनानिया	10.11.2006	09.11.2009	अपिव महिला	शा.उ.मा.वि. खेडा
3-	श्री पवनसिंह यदुवंशी	23.04.2007	22.04.2010	अपिवर्ग पुरुष	शा.न.मा.शा. अजनास रैयत
4-	श्री अरुण कुमार शर्मा	28.05.2007	27.05.2010	अना. पुरुष	शा.न.मा.शा. भादूगांव
5-	श्री शेख सलीम दीवान	22.05.2007	21.05.2010	अपिवर्ग पुरुष	शा.उ.मा.वि. खेडा
6-	श्री वीनू चन्द्रा	22.05.2007	21.05.2010	अपिवर्ग पुरुष	शा.न.मा.शा. रेवापुर
7-	श्री दिनेश कुमार सराटे	19.05.2007	18.05.2010	अपिवर्ग पुरुष	शा.न.मा.शा. चीराखान
8-	श्री संतोष कुमार चौरै	06.07.2007	05.07.2010	अजा पुरुष	शा.न.मा.शा. गांगियाखेडी

निरंतर .....

(2)

क्र.	अध्यापक का नाम	संविदा शाला शिक्षक वर्ग में कार्यभार ग्रहण दिनांक	अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	आरक्षण	पदांकित शाला का नाम
9-	कुमारी लता लोखंडे	14.08.2006	13.08.2009	अजा महिला	शा.न.मा.शा. भाटपरेटिया
10-	श्री बृजपालसिंह तंवर	28.09.2006	27.09.2009	अना. पुरुष	शा.न.मा.शा. भाटपरेटिया
11-	श्रीमती प्रमिला जैन	14.08.2006	13.08.2009	अना. महिला	शा.न.मा.शा. रहटाखुर्द
12-	श्री बंसत कुमार मालवीय	21.12.2006	20.12.2009	अना. पुरुष	शा.न.मा.शा. खामापड़वा
13-	श्री संतोष तिवारी	11.01.2007	10.01.2010	अना. पुरुष	शा.न.मा.शा. डगावानीमा
14-	श्री बंसतकुमार रघुवंशी	22.05.2007	21.05.2010	अना. पुरुष	शा.न.मा.शा. नीलगढ़
15-	श्री विनोदकुमार खुरसंगे	19.05.2007	18.05.2010	अपिवर्ग पुरुष	शा.न.मा.शा. बैडी
16-	श्री संतोष राठौर	02.07.2007	01.07.2010	अपिवर्ग पुरुष	शा.न.मा.शा. गोंदागांवखुर्द
17-	कृ. आराधना मौर्य	15.12.2006	14.12.2009	अजजा.महिला	शा.न.मा.शा. पोंढरमाटी
18-	श्री लोकेश कुमार गौर	11.06.2007	10.06.2010	अपिवर्ग पुरुष	शा.न.मा.शा. पोंढरमाटी
19-	श्री शिवकुमार श्रीवास	28.03.2007	27.03.2010	अपिवर्ग पुरुष	शा.न.मा.शा. जामन्याकलां
20-	श्रीमती दीपिका जागवंशी	26.03.2007	25.03.2010	अजा महिला	शा.न.मा.शा. जामन्याकलां
21-	श्री दिनेशकुमार मेहरा	24.03.2007	23.03.2010	अजा पुरुष	शा.न.मा.शा. मुंडासेल
22-	श्री छोटेलाल कोरकू	23.03.2007	22.03.2010	अजजा पुरुष	शा.न.मा.शा. आमाखाल
23-	श्री इलियास कुरैशी	21.03.2007	20.03.2010	अपिवर्ग पुरुष	शा.न.मा.शा. कालाकहू
24-	श्री शौनल कुमार पाठक	08.02.2007	07.02.2010	अना. पुरुष	शा.न.मा.शा. मुंडासेल
25-	श्री शैलेश कुमार करवाडे	21.03.2007	20.03.2010	अजा पुरुष	शा.न.मा.शा. जामन्याखुर्द
26-	श्री मुकेश कुमार सेन	16.01.2007	15.01.2010	अना. पुरुष	शा.न.मा.शा. डेडगांवमाल
27-	कृ. अनिता गजभिये	06.02.2007	05.02.2010	अजा महिला	शा.न.मा.शा. नहालीकलां
28-	श्री अजय कुमार सैलाव	21.03.2007	20.03.2010	अपिवर्ग पुरुष	शा.न.मा.शा. भगवानपुरा
29-	मो. इमरान कुरैशी	21.03.2007	20.03.2010	अपिवर्ग पुरुष	शा.न.मा.शा. कडौलाराघौ
30-	कृ. रमा बिल्लौर	11.08.2006	10.08.2009	अजा महिला	शा.न.मा.शा. पँडवा तारापुर
31-	श्री आनंदकुमार दुबे	25.09.2003	17.06.2009	अना. पुरुष	शा.न.मा.शा. छुरीखाल
32-	श्रीमती नीलू लोखंडे	22.11.2006	21.11.2009	अजा महिला	शा.न.मा.शा. बोण्डगांव

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा

हरदा दिनांक जुलाई 2010

पृ. क्रमांक / / शिक्षा / जिपं / 10-11  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कलेक्टर, जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. जिला कोषालयाधिकारी जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला हरदा,
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत हरदा टिमरनी खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. विकासखंड शिक्षा अधिकारी हरदा टिमरनी खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8. प्राचार्य शा.उ.मा.वि ..... विकासखंड, हरदा, टिमरनी खिरकिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख किया जाता है कि म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में नियुक्त अध्यापक की सेवा पुस्तिका संधारित कर हस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं वेतन निर्धारण संबंधी कार्यवाही तत्काल की जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें ।
9. श्री / श्रीमती .....  
..अध्यापक की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा

## कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा

क्रमांक /

/शिक्षा/जिपं/2010-11

हरदा दिनांक

जनवरी 2011

### :: आदेश ::

म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ/1-4/07/20/-1/दिनांक 28.06.2007 के अनुसार श्री डी.पी. दुबे की अध्यक्षता में एकल समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन के निर्णय अनुसार म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक भर्ती एवं सेवा शर्तों संशोधित नियम 2003 के अंतर्गत म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग आदेश/एफ-1-42/2008/20/भोपाल दिनांक 15.04.08 एवं लोकशिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक/शि.क./ए/7/2010/71 भोपाल दिनांक 22.02.2010 में दिये गए निर्देशों के परिपालन में जिला पंचायत हरदा के अधीन नियुक्त कार्यरत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 को वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु जिला पंचायत हरदा के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 को वर्ष 2005 के उपरान्त नियोजित किये गए संविदा शाला शिक्षकों को जिन्हें नियुक्ति के उपरान्त तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण हो गई है तथा जो शासन आदेश दिनांक 15.04.2008 के निर्धारित मापदंडों के अनुसार अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पात्रता रखते हैं, उन्हें अध्यापक संवर्ग में नियुक्त करने के संबंध में अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 22.12.2010 में लिये गए निर्णय अनुसार उपयुक्ता के संबंध में गठित जांच समिति की अनुशंसा उपरांत कार्यरत संविदा शिक्षक श्रेणी-01 एवं श्रेणी-2 को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक व प्रवर्ग में वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग के नियमित वेतनमान क्रमशः 5000-175-8500, 4000-125-6500/- के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाता है । न्यूनतम वेतनमान पर समय-समय पर राज्य शासन द्वारा देय मंहगाई भत्ते का लाभ वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से देय होगा । संविदा शिक्षकों की वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन ही रहेगी :-

1. संविदा शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 को वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में संविलियन जिनकी नियुक्ति अनारक्षित संवर्ग में हुई है को अनारक्षित संवर्ग में एवं आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त संविदा शिक्षक को आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है ।
2. अध्यापक संवर्ग में नियुक्त अध्यापकों को सेवा में सुरक्षा एवं नियमित वेतनमान प्राप्त होगा ।
3. अध्यापक संवर्ग में नियुक्त अध्यापकों वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाता है ।
4. संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाता है ।
5. परिवीक्षा अवधि में अकादमी प्रशिक्षण दिया जावेगा जिसमें सफल होने के उपरांत ही परिवीक्षा अवधि समाप्त हो सकेगी ।
6. अध्यापक संवर्ग को अनुग्रह राशि की पात्रता होगी ।
7. अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के संबंध में संपूर्ण आहार्ताओं की प्रतिपूर्ति होने की जांच करने क उपरान्त ही अध्यापक संवर्ग का लाभ प्रदान किया जावे, इस बात की पुष्टि संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी स्वयं करेंगे । यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे ।

उपरोक्त नियमानुसार निम्नलिखित संविदा शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 को नाम के सम्मुख अंकित दिनांक एवं आरक्षण के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक पद पर नियुक्त किया जाता है :-

निरंतर .....

(2)

क.	वरिष्ठ अध्यापक का नाम	संविदा शिक्षक वर्ग में कार्यभर ग्रहण दिनांक	वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	आरक्षण	पदांकित शाला का नाम
1.	कु. केतकी मार्सकाले	18.10.07	17.10.10	अजजा	शा.उ.मा.वि. चारुवा
2.	श्री चन्द्रपाल उके	28.11.07	27.11.10	अजा	शा.उ.मा.वि. चारुवा

क.	अध्यापक का नाम	संविदा शिक्षक वर्ग में कार्यभर ग्रहण दिनांक	अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	आरक्षण	पदांकित शाला का नाम
1	श्री विक्रमसिंह बघेल	11.07.07	10.07.10	अजजा	मा.शा. झिरी
2	सुश्री आशा खातरकर	24.05.07	23.05.10	अजा	मा.शा. गुठानिया
3	श्री परमानंद गाड़गे	04.12.07	03.12.10	अजा	मा.शा. बरखेड़ी
4	श्री बलवीरसिंह करोलिया	11.07.07	10.07.10	अजा	मा.शा. चीराखान
5	डॉ.श्रीमती स्नेहलता पाण्डे	04.12.07	03.12.10	अना.	मा.शा. केलझिरी
6	श्रीमती संध्या कुशवाहा	02.08.07	01.08.10	अपिव	मा.शा. सिंधखेड़ा
7	श्रीमती सोनू मेहर	09.08.07	08.08.10	अजा	मा.शा. बड़वानी
8	श्री संतोष कुमार बनोटे	01.08.07	31.08.10	अपिव	मा.शा. केलझिरी
9	श्री मानिकराम ढेकवारे	01.08.07	31.07.10	अपिव	मा.शा. बड़वानी
10	श्री विष्णुप्रसाद वर्मा	29.10.07	28.10.10	अजा	मा.शा. सिंधखेड़ा
11	सुश्री साहिला खातुन	10.08.07	09.08.10	अना.	मा.शा. जलौदा
12	श्री कृष्णकांत शर्मा	04.12.07	03.12.10	अना.	मा.शा. रातामाटी
13	कु अनिता कांवले	01.11.07	21.10.10	अजा	हा.स्कूल छीपानेर
14	श्रीमती लीलावती अतुलकर	31.10.07	30.10.10	अजा	मा.शा. कचनार
15	श्रीमती कविता जगनवार	31.10.07	30.10.10	अपिव	मा.शा. नजरपुरा
16	श्रीमती मनीषा यादव	20.02.07	19.02.10	अना.	मा.शा. रुन्दलाय
17	श्री रविशंकर चतुर्वेदी	23.04.07	24.11.10	अना.	मा.शा. कायरी
18	सुश्री नीता चौरे	21.02.07	26.07.10	अना.	मा.शा. महुखाल
19	सुश्री शारदा माथनकर	31.10.07	30.10.10	अपिव	मा.शा. लछौरा
20	श्री उमेश कुमार वर्डे	15.06.07	04.07.10	अजा	मा.शा. कपासी
21	श्री प्रशांतसिंह ठाकुर	18.12.07	17.12.10	अना.	मा.शा. गोमगांव
22	कु. आरती यादव	10.08.06	09.08.09	अपिव	मा.शा. बारंगी
23	कु. किरण बीलिया	27.12.06	26.12.09	अजा	मा.शा. विक्रमपुरखुर्द
24	श्री सुनील कुमार सौंधिया	20.01.04	08.09.10	अजजा	मा.शा. हसनपुरा
25	श्री हिमांशु बड़कुल	22.11.07	21.11.10	अपिव	मा.शा. बावड़िया
26	श्री गजानंद पंवार	20.11.07	19.11.10	अपिव	मा.शा. जयमलपुरा
27	श्रीमती शारदा सोनारे	15.11.07	14.11.10	अपिव	हा.स्कूल मोरगढ़ी
28	श्री संतोष कुमार सरोठिया	23.11.07	22.11.10	अपिव	मा.शा. चिकलपाट
29	श्रीमती पद्मिनी ताम्रकार	18.12.07	17.12.10	अपिव	मा.शा. बड़नगर
30	श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्र	10.12.07	09.12.10	अना.	हा.से.स्कूल चारुवा
31	श्री चन्द्रकिशोर मानकर	13.12.07	12.12.10	अजा	मा.शा. आरया

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत हरदा  
निरंतर .....

पृ. क्रमांक /  
प्रतिलिपि:—

/शिक्षा/जिपं/10-11

हरदा दिनांक

जनवरी 2011

1. आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कलेक्टर, जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. जिला कोषालयाधिकारी जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला हरदा,
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत हरदा टिमरनी खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. विकासखंड शिक्षा अधिकारी हरदा टिमरनी खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8. प्राचार्य शा.उ.मा.वि ..... विकासखंड हरदा टिमरनी खिरकिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख किया जाता है कि म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में नियुक्त अध्यापक की सेवा पुस्तिका संधारित कर हस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं वेतन निर्धारित संबंधी कार्यवाही तत्काल की जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें ।
9. श्री/श्रीमती ..... वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक की ओर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत जानकारी में त्रुटि पायी जाती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत हरदा

## कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा

क्रमांक/

/शिक्षा/जिपं/2010-11

हरदा दिनांक

मार्च 2011

### :: आदेश ::

म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ/1-4/07/20/-1/दिनांक 28.06.2007 के अनुसार श्री डी.पी. दुबे की अध्यक्षता में एकल समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन के निर्णय अनुसार म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक भर्ती एवं सेवा शर्तों संशोधित नियम 2003 के अंतर्गत म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग आदेश/एफ-1-42/2008/20/भोपाल दिनांक 15.04.08 एवं लोकशिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक/शिक्षा/ए/7/2010/71 भोपाल दिनांक 22.02.2010 में दिये गए निर्देशों के परिपालन में जिला पंचायत हरदा के अधीन नियुक्त कार्यरत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 को अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु जिला पंचायत हरदा के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 को वर्ष 2005 के उपरान्त नियोजित किये गए संविदा शाला शिक्षकों को जिन्हें नियुक्ति के उपरान्त तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण हो गई है तथा जो शासन आदेश दिनांक 15.04.2008 के निर्धारित मापदंडों के अनुसार अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पात्रता रखते हैं, उन्हें अध्यापक संवर्ग में नियुक्त करने के संबंध में अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 3.03.2011 में लिये गए निर्णय अनुसार उपयुक्ता के संबंध में गठित जांच समिति की अनुशंसा उपरांत कार्यरत संविदा शिक्षक श्रेणी-2 को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक व प्रवर्ग में अध्यापक संवर्ग के नियमित वेतनमान 4000-125-6500/- के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाता है । न्यूनतम वेतनमान पर समय-समय पर राज्य शासन द्वारा देय मंहगाई भत्ते का लाभ अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से देय होगा । संविदा शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन ही रहेगी :-

1. संविदा शिक्षक श्रेणी-2 को अध्यापक संवर्ग में संविलियन जिनकी नियुक्ति अनारक्षित संवर्ग में हुई है को अनारक्षित संवर्ग में एवं आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त संविदा शिक्षक को आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है ।
2. अध्यापक संवर्ग में नियुक्त अध्यापकों को सेवा में सुरक्षा एवं नियमित वेतनमान प्राप्त होगा ।
3. अध्यापक संवर्ग में नियुक्त अध्यापकों वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाता है ।
4. संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाता है ।
5. परिवीक्षा अवधि में अकादमी प्रशिक्षण दिया जावेगा जिसमें सफल होने के उपरांत ही परिवीक्षा अवधि समाप्त हो सकेगी ।
6. अध्यापक संवर्ग को अनुग्रह राशि की पात्रता होगी ।
7. अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के संबंध में संपूर्ण आहार्ताओं की प्रतिपूर्ति होने की जांच करने क उपरान्त ही अध्यापक संवर्ग का लाभ प्रदान किया जावे, इस बात की पुष्टि संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी स्वयं करेंगे । यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे ।

उपरोक्त नियमानुसार निम्नलिखित संविदा शिक्षक श्रेणी-2 को नाम के सम्मुख अंकित दिनांक एवं आरक्षण के अनुसार अध्यापक पद पर नियुक्त किया जाता है :-

निरंतर .....

(2)

क.	अध्यापक का नाम	संविदा शिक्षक वर्ग में कार्यभर ग्रहण दिनांक	अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	आरक्षण	पदांकित शाला का नाम
1	श्रीमती रेखा चौबे	17.12.2007	16.12.2010	अना.	शा.न.मा.शा. कनारदा
2	श्रीमती भागवती मंडराई	24.12.2007	23.12.2010	अजा.	शा.न.मा.शा. रहटाखुर्द
3	श्री रामविलास वामने	17.12.2007	16.12.2010	अजा.	शा.न.मा.शा. गोयत
4	श्री अजय स्वर्णकार	02.02.2008	01.02.2011	अपिव.	शा. न.हाईस्कूल मगरधा
5	श्री श्रीराम नागवंशी	08.08.2007	07.08.2010	अजा.	शा.मा.शा. कुमरूम
6	श्रीमती अनिता राठौर	31.12.2007	30.12.2010	अना.	शा.मा.शा. पाटियाकुआ
7	श्रीमती रूपेश्वरी हरिनखेड़े	01.11.2007	30.10.2010	अपिव.	शा.मा.शा. गोराखाल
8	श्रीमती संगीता पंवार	15.02.2007	29.09.2010	अपिव.	शा.न.मा.शा. पॉडरमाटी (बीएड उत्तीर्ण दिनांक से)
9	श्री धर्मेन्द्र धुर्वे	14.12.2007	13.12.2010	अजजा	शा.न.मा.शा. रकत्या
10	ममता मालवीय	20.07.2007	19.07.2010	अपिव.	शा.न.मा.शा. मुडासेल
11	श्री मनोहर गोलिये	24.01.2008	23.01.2011	अजा.	शा.न.मा.शा. पीपल्या भारत
12	श्री जितेन्द्र पटेल	30.01.2008	29.01.2011	अपिव.	शा.न.मा.शा. आमासेल
13	श्रीमती रेखा पाटिल	14.11.2007	13.11.2010	अजा.	शा.न.मा.शा. बंदीमुहाडिया
14	श्रीमती प्रतिभा तिवारी	14.12.2007	13.12.2010	अना.	शा.न.मा.शा.विक्रमपुरकलां

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा

हरदा दिनांक मार्च 2011

पृ. क्रमांक / / शिक्षा / जिप / 10-11  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कलेक्टर, जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. जिला कोषालयाधिकारी जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला हरदा,
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत हरदा टिमरनी खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. विकासखंड शिक्षा अधिकारी हरदा टिमरनी खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8. प्राचार्य शा.उ.मा.वि ..... विकासखंड हरदा टिमरनी खिरकिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख किया जाता है कि म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में नियुक्त अध्यापक की सेवा पुस्तिका संधारित कर हस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं वेतन निर्धारित संबंधी कार्यवाही तत्काल की जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें ।
9. श्री / श्रीमती ..... अध्यापक की ओर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत जानकारी में त्रुटि पायी जाती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा

## कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा

क्रमांक /

/शिक्षा/जिपं/2011-12

हरदा दिनांक

अप्रैल 2011

### :: आदेश ::

म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ/1-4/07 /20/-1/दिनांक 28.06.2007 के अनुसार श्री डी.पी. दुबे की अध्यक्षता में एकल समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन के निर्णय अनुसार म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक भर्ती एवं सेवा शर्तों संशोधित नियम 2003 के अंतर्गत म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग आदेश/एफ-1-42/2008/20/भोपाल दिनांक 15.04.08 एवं लोकशिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक/शिक्ष. /ए/7/2010/71 भोपाल दिनांक 22.02.2010 में दिये गए निर्देशों के परिपालन में जिला पंचायत हरदा के अधीन नियुक्त कार्यरत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 को अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु जिला पंचायत हरदा के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 को वर्ष 2005 के उपरान्त नियोजित किये गए संविदा शाला शिक्षकों को जिन्हें नियुक्ति के उपरान्त तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण हो गई है तथा जो शासन आदेश दिनांक 15.04.2008 के निर्धारित मापदंडों के अनुसार अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पात्रता रखते हैं, उन्हें अध्यापक संवर्ग में नियुक्त करने के संबंध में अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 23.04.2011 में लिये गए निर्णय अनुसार उपयुक्ता के संबंध में गठित जांच समिति की अनुशंसा उपरांत कार्यरत संविदा शिक्षक श्रेणी-2 को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक व प्रवर्ग में अध्यापक संवर्ग के नियमित वेतनमान 4000-125-6500/- के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाता है । न्यूनतम वेतनमान पर समय-समय पर राज्य शासन द्वारा देय मंहगाई भत्ते का लाभ अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से देय होगा । संविदा शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन ही रहेगी :-

1. संविदा शिक्षक श्रेणी-2 को अध्यापक संवर्ग में संविलियन जिनकी नियुक्ति अनारक्षित संवर्ग में हुई है को अनारक्षित संवर्ग में एवं आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त संविदा शिक्षक को आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है ।
2. अध्यापक संवर्ग में नियुक्त अध्यापकों को सेवा में सुरक्षा एवं नियमित वेतनमान प्राप्त होगा ।
3. अध्यापक संवर्ग में नियुक्त अध्यापकों वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाता है ।
4. संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाता है ।
5. परिवीक्षा अवधि में अकादमी प्रशिक्षण दिया जावेगा जिसमें सफल होने के उपरांत ही परिवीक्षा अवधि समाप्त हो सकेगी ।
6. अध्यापक संवर्ग को अनुग्रह राशि की पात्रता होगी ।
7. अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के संबंध में संपूर्ण आहार्ताओं की प्रतिपूर्ति होने की जांच करने क उपरान्त ही अध्यापक संवर्ग का लाभ प्रदान किया जावे, इस बात की पुष्टि संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी स्वयं करेंगे । यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे ।

उपरोक्त नियमानुसार निम्नलिखित संविदा शिक्षक श्रेणी-2 को नाम के सम्मुख अंकित दिनांक एवं आरक्षण के अनुसार अध्यापक पद पर नियुक्त किया जाता है :-

निरंतर .....

(2)

क्र.	अध्यापक का नाम	संविदा शिक्षक वर्ग में कार्यभार ग्रहण दिनांक	अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	आरक्षण	पदांकित शाला का नाम
1	श्री नितिन चौधरी	01.02.2007	03.03.2011	अपिव.	शा.न.मा.शा. गोदागांवकलां
2	श्री सुरेन्द्रसिंह इंदौरिया	11.01.2007	03.03.2011	अजा.	शा.न.मा.शा. सन्यासा
3	श्रीमती ममता अग्निभोज	27.10.2007	26.10.2010	अजा.	शा.उत्कृष्ट कन्या छात्रावास टिमरनी
4	श्रीमती दीपाली राठौर	01.11.2007	10.12.2010	अना.	शा.न.मा.शा. गोंदागांवखुर्द
5	श्रीमती सीमा मोरछले	12.01.2007	03.03.2011	अना.	शा.न.मा.शा. सक्तापुर
6	श्री विरेन्द्र कुमार धनगर	30.01.2008	29.01.2011	अना.	शा.न.मा.शा. झिरपी

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा

हरदा दिनांक अप्रैल 2011

पृ. क्रमांक / / शिक्षा / जिप / 11-12  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कलेक्टर, जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. जिला कोषालयाधिकारी जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला हरदा,
6. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग हरदा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत टिमरनी खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8. विकासखंड शिक्षा अधिकारी टिमरनी खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
9. प्राचार्य शा.उ.मा.वि ..... विकासखंड टिमरनी खिरकिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख किया जाता है कि म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में नियुक्त अध्यापक की सेवा पुस्तिका संधारित कर हस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं वेतन निर्धारित संबंधी कार्यवाही तत्काल की जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें ।
10. श्री / श्रीमती ..... अध्यापक की ओर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत जानकारी में त्रुटि पायी जाती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा